

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

“प्रथम आओ—प्रथम पाओ” पद्धति से

सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक सूचना

प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में “जहाँ है, जैसा है,” के आधार पर “प्रथम—आओ, प्रथम पाओं” पद्धति से पूर्व निर्मित आवासीय उच्च/मिनी उच्च/मध्यम/मिनी मध्यम/अल्प/ दुर्बल आय वर्ग, श्रेणी के भवन, डुप्लेक्स एंव फ्लैट्स् प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ 10 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संगलन किया जाना आवश्यक है। विवरण पुस्तिका आवेदन पत्र दिनांक 08.08.2023 से 07.10.2023 तक प्राधिकरण के स्वागत कक्ष में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

सचिव

उपाध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

आवासीय योजनाओं में “जहाँ है, जैसा है,” के आधार पर “प्रथम—आओ,
प्रथम—पाओ” पद्धति से पूर्व निर्मित आवासीय उच्च आय वर्ग, मिनी उच्च
आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, मिनी मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग तथा
दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवन, विलॉज / डुप्लैक्स एवं फ्लैट्स् प्राप्त करने

के

नियम एवं शर्तों

की

विवरण पुस्तिका

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में “जहाँ है, जैसा है,” के आधार पर
“प्रथम—आओ, प्रथम—पाओ” पद्धति से पूर्व निर्मित आवासीय उच्च आय वर्ग, मिनी उच्च आय

वर्ग, मध्यम आय वर्ग, मिनी मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग तथा दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवन, विलॉज / डुप्लैक्स एवं फ्लैट्स् प्राप्त करने की नियम एवं शर्तें—

1. योजना का नाम—

योजना के नाम रिक्त सम्पत्तियों की विवरण तालिका में उल्लिखित है।

2. ग्राह्यता (पात्रता)—

2.1 आवेदक भारत का नागरिक हों।

2.2 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक व्यस्क हो अर्थात् आवेदक की आय न्यूनतम् 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

3. आवेदन कैसे करें—

- 3.1 योजना, समाचार पत्रों में विज्ञापित करने के पश्चात् प्रारम्भिक रेज पर प्रत्येक रिक्त भवन, विलॉज, फ्लैट्स का मूल्य सहित विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आवेदक द्वारा इच्छित सम्पत्ति वरीयता क्रम में (अधिकतम् 5 सम्पत्ति) आवेदन पत्र में उल्लेख करते हुए, प्रथम वरीयता की सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट, जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में मेरठ में देय हो, के साथ आवेदन करना होगा।
- 3.2 आवेदन पत्र पूर्वान्ह 11.00 बजें से 2.00 बजें के मध्य प्राधिकरण कार्यालय के स्वागत कक्ष में जमा किये जायेंगे।

4. आवंटन प्रक्रिया—

- 4.1.1 वर्णित सम्पत्ति “जहाँ है, जैसा है” के आधार पर आवंटित की जायेगी।
- 4.1.2 आवेदक के पक्ष में उनके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता की सम्पत्ति का पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटन किया जायेगा। प्रथम वरीयता की सम्पत्ति न मिलने की दशा में यदि द्वितीय वरीयता के सम्पत्ति के संबंध में किसी अन्य आवेदक हेतु आवेदन नहीं किया गया है, तो उक्त सम्पत्ति आवेदक को आवंटित की जायेगी। द्वितीय वरीयता के सम्पत्ति पर किसी अन्य ने आवेदन कर रखा है, तो आवेदक को तृतीय वरीयता सम्पत्ति आवंटित की जायेगी। यही प्रक्रिया लगातार पूर्ण कर उक्त आवेदक को वरीयता क्रम वाले सम्पत्ति में से उसकी लिखित सहमति के क्रम में आवंटित करने का प्रयास किया जायेगा।
- 4.1.3 यदि आवंटी प्रथम वरीयता में अकित सम्पत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य वरीयता क्रम के सम्पत्ति को नहीं लेना चाहता है, तो उसे इस संबंध में लिखित मे प्रार्थना पत्र देना होगा, अन्यथा उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पत्ति आवंटित की जायेगी।
- 4.1.4 यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वरीयता क्रम के सम्पत्ति पर किसी न किसी दशा में पहले आवेदन किया गया है, तो आवेदक को कोई सम्पत्ति आवंटित नहीं की जाएगी तथा उनके द्वारा जमा ड्राफ्ट तत्काल उसी दिन वापस कर दिया जाएगा।
- 4.1.5 आवेदक को यदि प्रथम वरीयता की सम्पत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य वरीयता की सम्पत्ति आवंटित की जाती है तथा उसका मूल्य प्रथम वरीयता की सम्पत्ति के मूल्य से अधिक है तो आवेदक को आवंटन के दो दिवस के अन्दर बढ़े हुए मूल्य के अन्तर की धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। यदि आवंटित सम्पत्ति का मूल्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत डिमाण्ड ड्राफ्ट से कम है तो डिमाण्ड ड्राफ्ट की बढ़ी हुई धनराशि अगले 50 दिन में जमा होने वाली धनराशि में समायोजित कर ली जाएगी।
- 4.2 आवंटित सम्पत्ति के प्राधिकरण द्वारा कोई भी सुदृढीकरण/मरम्मत आदि का कार्य नहीं किया जायेगा। आवेदक के पक्ष में नियमानुसार आवंटन किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

- 4.3 फ्री होल्ड (पूर्ण स्वामित्व) सम्पत्तियों का आवंटन—कम—किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ—1—14—30 विविध/2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड एवं लोकेशन चार्ज की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा। लीजहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन—कम—किश्त पत्र, लीज होल्ड सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का नियमानुसार 10 प्रतिशत लीजरेन्ट एवं लोकेशन चार्च शामिल करते हुए जारी किया जायेगा। तालिका में उल्लिखित रिक्त सम्पत्तियों के मूल्य में फ्री—होल्ड/लीज—रैन्ट/लोकेशन चार्ज की धनराशि सम्मिलित नहीं है।
- 4.3.1 आवेदकों को आवंटन कम किश्त पत्र के जारी होने की दिनांक से 50 दिन की अवधि के अन्दर सकल मूल्य की शुद्ध 50% धनराशि पिंजीकरण धरोहर राशि का समायोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी।
- 4.3.2 उच्च/मिनी उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्तियों की बकाया **50%** धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में **10.50%** वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। विलम्ब अवधि के लिये दण्ड ब्याज प्रस्तर—5 अनुसार देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवंटी को प्रत्येक दशा में भवन/फ्लैट खाली करना होगा।
- 4.3.3 मिनी मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्तियों की बकाया **50%** धनराशि 2 वर्ष की 4 समान छमाई किश्तों में **10.50%** वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। विलम्ब अवधि के लिये दण्ड ब्याज प्रस्तर—5 अनुसार देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवंटी को प्रत्येक दशा में भवन/फ्लैट खाली करना होगा।
- 4.3.4 दुर्बल आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्तियों की बकाया **50%** धनराशि 2 वर्ष की 4 समान छमाई किश्तों में **9.50%** वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। विलम्ब अवधि के लिये दण्ड ब्याज प्रस्तर—5 अनुसार देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवंटी को प्रत्येक दशा में भवन/फ्लैट खाली करना होगा।
- 4.3.5 प्रत्येक श्रेणी की सम्पत्ति के सापेक्ष पहली छमाई किश्त आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छ: माह में देय होगी। तदनुसार शेष किश्तें 06—06 माह के अन्तराल पर देय होगी। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण आवंटन—कम—किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा।
- 4.4 सम्पत्ति का आवंटन—कम—किश्त पत्र निर्गत होने के साथ—साथ आवेदक को प्रोपर्टी कोड/आईडी प्राप्त करायी जायेगी, जो विशिष्ट कोड होगा। आवेदक द्वारा आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष कोई भी धनराशि अथवा किश्त जमा करते समय रसीद पर प्रोपर्टी कोड का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

- 4.5 पूर्व में निर्मित भवनों/फ्लैट्स को “जहाँ है, जैसा है” के आधार पर विज्ञापित किया जा रहा है। तालिका में उल्लिखित भवन/फ्लैट्स निर्मित अथवा अद्वनिर्मित है, जिनमें जो भी कार्य किया जाना शेष है, वह सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने पश्चात आवंटियों को स्वयं अपने खर्च पर पूर्ण कराना होगा। यदि किसी भवन/फ्लैट्स/विलॉज में अतिरिक्त भूमि पायी जाती है तो उसका नियमानुसार मूल्य आवंटी द्वारा देय होगा। किन्तु प्रकाशित विवरण तालिका में पंजीकरण हेतु मानक क्षेत्रफल के आधार पर धनराशि का उल्लेख किया गया है जो कमी-बेसी के अधार पर भवन/फ्लैट्स/विलॉज के वास्तविक मूल्य में समायोजित किया जायेगा।
- 4.6 देय धनराशि का शुगतान, बैकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अक्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।
- 4.7 आवेदक के पक्ष में जिस भवन, विलॉज, फ्लैट का आवंटन होगा, उस भवन, विलॉज, फ्लैट की वास्तविक कीमत के सापेक्ष जमा आवेदित/पंजीकरण धनराशि का समायोजन किया जायेगा।
- 4.8 प्राधिकरण किसी ऐसी धनराशि पर ब्याज के लिये उत्तरदायी नहीं होगा जो बैंक अथवा जमा कर्ता की त्रुटि से प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं हुई हो।
- 4.9 यदि किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र भरते समय तथ्यों को छुपाया जाता है तो उसका आवेदन पत्र/आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 4.10 प्राधिकरण द्वारा फ्रीहोल्ड/लीज के साथ आवंटित भवन, विलॉज, फ्लैट का ‘‘विक्रय विलेख’’/‘‘फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख’’ आवंटी द्वारा कराना अनिवार्य होगा।
- 4.11 आवंटन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद/आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 4.12 आवंटी को भवन, विलॉज, फ्लैट के आवासीय प्रयोग की अनुमति होगी अन्य किसी उपयोग की नहीं। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त, यदि आवंटी द्वारा भवन, विलॉज, फ्लैट का अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।
- 4.13 आवेदकों के पक्ष में “प्रथम—आओ, प्रथम—पाओं” पद्धति से सम्पत्ति आवंटित हो जाने के पश्चात, “सम्पत्ति का फ्रीहोल्ड व लोकेशन चार्ज सहित मूल्य” अथवा “लीजरैन्ट एवं लोकेशन चार्ज सहित मूल्य” पचास लाख या उससे अधिक होने की स्थिति में “सम्पत्ति के फ्रीहोल्ड व लोकेशन चार्ज सहित मूल्य” अथवा “लीजरैन्ट सहित व लोकेशन चार्ज सहित मूल्य” पर आयकर अधिनियम—1961 की धारा 194IA के अन्तर्गत देय 01 (एक) प्रतिशत टी०डी०एस० की धनराशि आवंटियों द्वारा स्वयं चालान के माध्यम से मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पेन नं० AAALM0124D पर निर्धारित समय अवधि (आवंटन—कम—किश्त निर्गत दिनांक से 30 दिन के अन्दर) में ही जमा

कराते हुए चालान की प्रति/रसीद प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी होगी। सम्पत्ति के आवंटन—कम—किश्त में उल्लिखित आवंटन धनराशि व सब्याज निर्धारित देय किश्तें तथा अन्य देय धनराशि जो प्राधिकरण कार्यालय द्वारा सूचित की गयी हो, आवंटियों द्वारा प्राधिकरण परिसर स्थित इण्डियन बैंक (**Details For RTGS Account No. 21066035769, IFSC CODE : IDIB000M679**) में अथवा एच०डी०एफ०सी०बैंक, सूर्योन्मा प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ (**Details For RTGS Account No. 50100056171918, IFSC CODE : HDFC0001911**) उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट जो मेरठ में देय हो, के द्वारा जमा करते हुए, जमा रसीद की छाया प्रति सम्बन्धित सम्पत्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

5. दण्ड ब्याज—

उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्तियों की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा। मिनी मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्तियों की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 14% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा। दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के सम्पत्तियों की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 13% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

6. कब्जा—

- 6.1 पूर्व में निर्मित भवनों, विलॉज, फ्लैट्स् को “जहाँ है, जैसा है”, के आधार पर विज्ञापित किया जा रहा है जिनके आवंटन पश्चात् आवंटी प्राथमिक स्टेज़ पर भवन, विलॉज, फ्लैट्स् का किश्तों के चलते कब्जा प्राप्त करना चाहता है तो नियमानुसार पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क आदि जमा कराते हुए कब्जा प्राप्ति तक की देय निर्धारित धनराशि (50 प्रतिशत) किश्तें अद्यतन् जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवन/फ्लैट का “कब्जा अनुबन्ध” का पंजीयन कराने के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा। कब्जा अनुबन्ध के निबन्धन के समय देय लिखाई—पढ़ाई का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा।
- 6.2 आवंटी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय—समय पर करना होगा।
- 6.3 सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् समय—समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेशों/नियमों—उपनियमों आदि का अनुपालन आवंटी द्वारा करना होगा।
- 6.4 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से स्वयं अपने खर्च पर लेगा।

- 6.5 यदि आवंटी द्वारा, विलेख के निष्पादन कराने के पश्चात् कब्जा नहीं लिया जाता है तो नियमानुसार रुपये 500/- प्रति माह की दर से आवंटी द्वारा चौकीदार शुल्क देना होगा।

7. निबन्धन प्रक्रिया—

'पूर्व में निर्मित भवन/फ्लैट/विलॉज का सम्पूर्ण मूल्य, नियमानुसार देय पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क आदि जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवन का "विक्रय विलेख"/"फ्लैट में निहित भूमि के बावत् पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख" का पंजीयन किया जायेगा। विलेख के निबन्धन के समय देय लिखाई-पढ़ाई का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा। यदि भवन/फ्लैट का विलेख कराने से पूर्व "कब्जा अनुबन्ध" का पंजीयन आवंटी द्वारा कराया गया है तो कब्जा अनुबन्ध के समय वहन की स्टाम्प ड्यूटी को नियमानुसार "विक्रय विलेख"/"फ्लैट में निहित भूमि के बावत् पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख" निष्पादन के समय देय स्टाम्प ड्यूटी में समायोजित किया जायेगा।

8. समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में धन की वापसी—

यदि कोई आवेदक अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो निम्नानुसार रिफण्ड प्रकरण निस्तारित किया जायेगा:—

- 8.1 आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के आवंटियों को छोड़ते हुये अन्य समस्त श्रेणी के आवंटियों द्वारा यदि निर्धारित 40 प्रतिशत की धनराशि नियत अवधि 50 दिवस के अंदर प्राधिकरण कोष में जमा नहीं की जाती हैं तो आवेदन के समय जमा 10 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त की जायेगी।
- 8.2 प्रत्येक श्रेणी के आवंटी द्वारा नियत अवधि में (50 दिवस) 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने तथा कब्जा विलेख निष्पादित होने के पूर्व यदि धनराशि वापस चाहता है तो कब्जा प्राप्त करने से पूर्व कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वपास की जायेगी। उक्त वापसी हेतु आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्र एवं रसीद प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने होगे।
- 8.3 दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के आवंटियों द्वारा आवेदन के समय जमा 10 प्रतिशत धनराशि में से 5 प्रतिशत कटौती करने के उपरान्त धनराशि वापस की जायेगी।
- 8.4 आवंटन के पश्चात् यदि भवन/फ्लैट/विलॉज का कब्जा हस्तगत हो गया है तो दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के आवंटियों की कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती के साथ-साथ भवन/फ्लैट/विलॉज के रिफण्ड प्रार्थना पत्र एवम् निरस्तीकरण आदेशों के जो भी तिथि पहली होगी तक देय किश्तों में से टूटती किश्तों में समिलित ब्याज की धनराशि की कटौती उपरान्त यदि कोई धनराशि आवेदनकर्ता को दिये जाने हेतु शेष बचती है तो बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

9. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया—

'पूर्व में निर्मित भवन, विलॉज, फ्लैट का आवंटन, दो या दो से अधिक किश्तों की दखेता पर निरस्त हो जाने पर, यदि आवेदक 'पूर्व में निर्मित भवन/फ्लैट/विलॉज के आवंटन को पुनर्जीवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से दो माह के अन्दर कराना चाहे तो भवन/फ्लैट/विलॉज के आवंटन की बहाली के दिनांक को लागू नियमों के दृष्टिगत भवन/फ्लैट /विलॉज की बहाली वर्तमान मूल्य पर की जायेगी।

10 मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना—

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं और उसने किसी वास्तविक तथ्य को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ भवन/फ्लैट/विलॉज का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले आवंटन/झा से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

11. अन्य सूचनायें/शर्ते—

11.1 रिक्त सम्पत्तियों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट (www.mdameerut.org.in) पर उपलब्ध रहेगा।

11.2 आवेदक, आवेदन करने से पूर्व, सम्पत्ति की रिक्तता की सूची, प्राधिकरण की वेब साईट (www.mdameerut.org.in) पर अथवा प्राधिकरण के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखने के उपरान्त ही रिक्त सम्पत्ति के सापेक्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

11.3 आवेदन पत्र के साथ आवेदित सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में मेरठ में देय हो, मूल रूप में संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट प्राप्त न होने पर, ऐसे आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

11.4 आवेदन पत्र पूर्वान्तर 11.00 बजें से 2.00 बजें के मध्य प्राधिकरण कार्यालय के स्वागत कक्ष में जमा किये जायेंगे। वर्णित सम्पत्ति "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर आवंटित की जायेगी। आवंटित सम्पत्ति में प्राधिकरण द्वारा कोई भी सुदृढ़ीकरण/मरम्मत आदि का कार्य नहीं किया जायेगा।

11.5 आवंटन के सम्बन्ध में किसी भी बिन्दु पर आवेदक विशेष कार्याधिकारी/प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति, मेरठ विकास प्राधिकरण से कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

11.6 आवेदक को विलेख में उल्लिखित सभी शर्ते स्वीकार होगी एवम् भविष्य में अनुपालन करना होगा तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों/नियमों-उप नियमों का अनुपालन करना होगा।

11.7 प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूमि/भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि

भू-राजस्व के बकाया के रूप में आवंटी से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

- 11.8 यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनायें देकर अथवा तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन कब्जा प्राप्त कर लिया है या अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा जमा की गयी आवेदन/आवंटन धनराशि को शत-प्रतिशत जब्त करते हुए भवन/फ्लैट/विलॉज के मूल्य के विपरीत जमा की गयी अन्य जमा धनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती धनराशि वापस कर दी जायेगी। उक्त जमा धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 11.9 आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा में आवेदन पत्र की संख्या सहित एतद्विषयक सूचना आवेदक द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की जानकारी आवेदक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
- 11.10 तालिका में उल्लिखित भवनों/फ्लैट्स/विलॉज के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया आवंटन की तिथि व समय पर अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि का मूल बैंक ड्राफ्ट लेकर ही उपस्थित होवे।
- 11.11 आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित मान्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
- 11.12 इस योजना में भवनों/फ्लैट्स/विलॉज की दी गयी कीमत, क्षेत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।
- 11.13 इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटी को मान्य होगा।
- 11.14 “प्रथम आओ, प्रथम पाओं” पद्धति से सम्पत्तियों के आवंटन/निस्तारण के सम्बन्ध में शासन से यदि को संशोधित/नया शासनादेश निर्गत किया जाता है तो निर्गत किये जाने वाले शासनादेश की नियम/शर्त आदि लागू मानी जायेगी।
- 11.15 आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लिखित शर्तों में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद् विषयक वर्णित किसी भी शर्त/नियम को शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

आवेदक की ओर से घोषणा—

मैं घोषित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है। आवेदन किस योजना किस सम्पत्ति के लिए वरियता क्रम में सम्पत्ति संख्या

.....

आवेदक के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:—

नाम.....

पिता / पति का नाम.....

मो०नं० व

Email id :

पता

.....

.....

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

आवेदन पत्र सं0

(आवेदन दिनांकसे तक)

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में “प्रथम आओ, प्रथम पाओं” पद्धति से भवन, फ्लैट्स, डूलेक्स/विलॉज कर्षक मूल्य पर प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदित सम्पत्ति का विवरण वरीयता क्रम के साथ:-

योजना का नाम	सैक्टर/पॉकेट	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति की श्रेणी	वरीयता क्रम

2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
अंग्रेजी में.....
3. आवेदक के पिता/पति का नाम
4. आवेदक की जन्म तिथि वर्ष लिंग वैवाहिक स्तर
- आधार संख्या पैन कार्ड संख्या
- मोबाइल नं0 ई.मेल आईडी.....
5. व्यवसाय

6. वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता पिन कोड सहित
.....
.....
7. स्थायी पता पिन कोड सहित
.....
.....
8. आवेदक का राष्ट्रीकृत बैंक में खाता संख्या, आई०एफ०सी० कोड व बैंक का पूरा नाम दूरभाष
सहित
9. जमा ड्राफ्ट संख्या/धनराशि का विवरण
10. आवेदक द्वारा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवेदन पुस्तिका का अध्ययन कर लिया गया है। आवेदन
पुस्तिका में प्रकाशित नियम व शर्त आवेदक को मान्य है जिसका पालन करने हेतु आवेदक एतदद्वारा वचन देता है।

आवेदन की तिथि

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रिक्त विलॉज (हुप्लैक्स), भवनों, फ्लैट्स का विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	सैक्टर / पार्केट	भवन की श्रेणी	भवन/ फ्लैट की संख्या	भवन/फ्लैट संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	वर्तमान कीमत	10 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	पल्लवपुरम फेस-2 (2 मंजिला फ्लैट)	पार्केट- एल	दुर्बल आय वर्ग	02	एल/डी-8, 13,	23.38	652200	65220
2	पल्लवपुरम फेस-2	पार्केट- पी	मिनी मार्ग आय वर्ग	01	पी-71	105.11	3555000	355500
3	श्रद्धापुरी फेस-प्रथम (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर- 7	अल्प आय वर्ग	12	एफ-11, 12, 16 एस-02, 14, टी-06, 10, 12, 15, 19, 22, 23	46.31	1509780	150978
4	श्रद्धापुरी फेस-द्वितीय (4 मंजिला फ्लैट)	पार्केट- ई	अल्प आय वर्ग	11	एफ-11, एस-01, 07, 12, 13, 17, 20, टी-02, 11, 13, 21,	46.31	1181810	118181
5	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम-प्रथ म) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर- 3	मध्यम आय वर्ग प्रथम तल	16	2ए., 5ए., 6ए., 9ए., 13ए., 14ए., 15ए., 16ए., 17ए., 18/ए, 19ए, 20ए., 21ए, 22ए., 23ए., 24ए.,	85.81	3361750	336175
6	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम-प्रथ म) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर- 3	मध्यम आय वर्ग द्वितीय तल	19	1बी., 2बी., 3बी., 5बी., 9बी., 10बी., 11बी., 13बी., 14बी., 15बी., 16बी., 17बी., 18बी., 19बी., 20बी., 21बी., 22बी., 23बी., 24बी.	85.81	2931150	293115
7	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम-प्रथ म) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर- 3	मार्ग आय वर्ग द्वितीय तल	20	1सी., 3सी., 4सी., 5सी., 6सी., 7सी., 9सी., 10सी., 11सी., 12सी., 13सी., 14सी., 15सी., 16सी., 17सी., 18सी., 19सी., 20सी., 23सी., 24सी.,	85.81	2931150	293115
9	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम-प्रथ म) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर- 3	मध्यम आय वर्ग चतुर्थ तल	22	1डी., 2डी., 3डी., 4डी., 5डी., 6डी., 7डी., 8डी., 9डी., 10डी., 11डी., 12डी., 13डी., 14डी., 15डी., 16डी., 19डी., 20डी., 21डी., 22डी., 23डी., 24डी.	85.81	2931150	293115
10	शताब्दीनगर एयरपोर्ट	पार्केट- डी	मध्यम आय वर्ग	07	03, 06, 08, 11, 12, 16, 18,	112.00	5636700	563670

	एन्कलेव		(विला/ डुप्लैस भवन)					
11	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्कलेव	पाकेट ई	पायम आय पा. (विला/डुप्लैस भवन)	08	23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36,	112.00	5626700	562670
12	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्कलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट- ए.	2वी.एच. के. +स्टडी रूम	05	जी-18, 22, 24, 37, 39,	99.40	2698000	269800
13	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्कलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट- ए.	2वी.एच. के. +स्टडी रूम	34	एफ-13, 15, 17, 22, 40, 42, 43, एस-14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 39, 41, 43, 45, 46, टी-13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47,	99.40	2377000	237700
14	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्कलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट- ए.	2वी.एच. के. टाईप-ए	23	जी-01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	81.15	2336000	233600
15	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्कलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट- ए.	2वी.एच. के. टाईप-ए	65	एफ-02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, एस-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, टी-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	81.15	1990000	199000
16	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्कलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट- बी.	2वी.एच. के. + स्टडी	10	जी- 14, 16, 17, 19, 20, 21, 37, 39, 41, 44,	99.40	2698000	269800
17	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्कलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट- बी.	2वी.एच. के. + स्टडी	32	एफ-13, 14, 17, 21, 22, 24, 37, 44, एस-13, 14, 18, 22, 46, 47, टी-13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,	99.40	2377000	237700
18	शताब्दीनगर एयरपोर्ट	पाकेट- बी.	2वी.एच. के.	20	जी-01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 25, 26, 27,	81.15	2336000	233600

	एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)		टाईप-ए		28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,			
19	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट- बी.	2बी.एच. के. टाईप-ए	53	एफ—01, 07, 08, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, एस—01, 02, 04, 08, 09, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, टी—01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	81.15	1990000	199000
20	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट- सी.	2बी.एच. के. टाईप-ए	21	जी—1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,	86.10	2384300	238430
21	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट- सी.	2बी.एच. के. टाईप-ए	69	एफ—02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, एस—01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, टी—01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,	86.10	2186600	218660
22	शताब्दीनगर, सेक्टर—1 (4 मंजिला फ्लैट)	पॉकेट- सी	दुर्बल आय वर्ग	12	जी—19, एफ—15, 28 एस—13, 17, 18, 26, 29 टी—11, 16, 22, 29	31.33	880000	88000
23	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट- सी	दुर्बल आय वर्ग	03	भूतल सी—64, 103, 147	25.61	677200	67720
1.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट- सी	दुर्बल आय वर्ग	14	प्रथम तल सी—72, 74, 76, 79, 88, 91, 92, 98, 100, 137, 142, 159, 166, 181,	25.61	596700	59670
24	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट- सी	दुर्बल आय वर्ग	07	द्वितीय तल सी—61, 65, 70, 75, 91, 159, 170	25.61	616800	61680
25	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट- सी	अल्प आय वर्ग	18	भूतल सी—20, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 126,	37.79	926400	92640
26	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट- सी	अल्प आय वर्ग	25	प्रथम तल सी—05, 08, 12, 16, 31, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,	37.79	784600	78460

					54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 106, 107, 109, 113,			
27	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट— सी	अल्प आय वर्ग	24	द्वितीय तल सी—02, 06, 21, 22, 35, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 120, 124	37.79	820000	82000
28	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट— सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	63	भूतल सी.पी.—97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,	27.98	810100	81010
29	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट— सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	64	प्रथम तल सी.पी.—97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,	27.98	712100	71210
30	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट— सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	64	द्वितीय तल सी.पी.—97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,	27.98	736600	73660
31	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट— सी.पी.	अल्प आय वर्ग	64	भूतल सी.पी.—1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,	37.79	1263200	126320

					20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 66, 71, 73, 74, 76, 77, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 96,			
32	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट— सी.पी.	अल्प आय वर्ग	63	प्रथम तल सी.पी.—1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 86, 94, 95, 96,	37.79	1090600	109060
33	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट— सी.पी.	अल्प आय वर्ग	61	द्वितीय तल सी.पी.—1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 94, 96,	37.79	1090600	109060
34	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट— सी.पी.	अल्प आय वर्ग	69	तृतीय तल सी.पी.—01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,	37.79	1090600	109060
35	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट— बी.	3बी.एच. के फ्लैट	7	ए—102, ए—204, ए—206, ए—207, ए—306, ए—404, ए—405,	112.50	3624656	362466

36	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट- बी.	2बी.एच. के फ्लैट	24	बी-02, सी-403, डी-08, डी-107, डी-305, डी-405, डी-406 ई-105, ई-107, ई-401, ई-406, एफ-06, एफ-08, एफ-107, एफ-203, एफ-204, एफ-205, एफ-206, एफ-307, एफ-404, एफ-405, जी-107, जी-302, जी-405	94.00	3056571	305657
37	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट- जे	दुर्वल आय वर्ग	32	जी-31, 32, एफ-17, 19, 22, 23, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 48, एस-19, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 37, 40, 41, 44, 48, टी-25, 31, 33, 40, 44,	39.75	1270000	127000
38	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट- जे	दुर्वल आय वर्ग	02	एफ-03, 14,	28.00	823100	82310
39	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट- जे	दुर्वल आय वर्ग	03	टी-04, 13, 16	28.00	823100	82310
40	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट- एच	दुर्वल आय वर्ग	05	टी-01, 08, 13, 14, 20,	31.33	865500	86550
41	शताब्दीनगर, रोकटर- 4वी	पाकेट- बी	माया आय वर्ग	01	बी-29	112.50	2473000	247300
			गोप	107।।				